प्रारूप " ब "

देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक: आर 18बी (61) 2007 / व्याव / 5411 दिनांक:– 31.3.08

संपरिवर्तन आदेश

चौधरी एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट जरिए अध्यक्ष श्री गोदाराम एवं सचिव डा0 शेर सिंह चौधरी सांगटेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1–आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति के नाम सहित पूरा पता।	चौधरी एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट जरिए अध्यक्ष श्री गोदाराम एवं सचिव डा0 शेर सिंह चौधरी सांगटेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3–संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:–	
(अ) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सांगटेडा व ग्राम पंचायत सांगटेडा तह0 कोटपूतली जिला जयपुर।
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख0नं0 1003 रकबा 0.26 हैक्ट0,
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल(हैक्टै.या व.मी.में)	ख0नं0 1003 रकबा 0.26 हैक्ट0 में से कुल संपरिवर्तन किया गया क्षेत्रफल 2600 व0मी0
4- संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5–संदेय प्रीमियम की दर	27.68 / –रू0 प्रति वर्गमीटर
6–चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चा.नं. 1068 दि0 8.03.08 से राशि 71,968 / – रूपये
7–चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
8–चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
9–क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है;	नहीं
10-अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	नहीं

11 उपरक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

Santosh

Secretary

Choudhary Educational Ins

Sangteda, Kotputli (Jaipur)

CamScanner

(3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोडी जायेगी।

(6) यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

(7) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कुल भूमि क 40 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग, सडक इत्यादि सुविधाओं के लिए खुला छोडना होगा।

(8) स्थानीय संस्थाओं द्वारा भवन निर्माण के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार निर्माण कराना होगा।

(9) स्वच्छ वातावरण का पूर्ण ध्यान रखना होगा।

(10) राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प.6(6)राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.7.07 की पालना में नियम 2007 के नियम 9(2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा नक्शे अनुमोदित कराने के पश्चात् निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

हृ0

जिला कलक्टर,
जयपुर।

क्रमांक– सम/ 5412-16 दिनांक– 31.3.08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील कोटपूतली ,जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत सांगटेडा पं.स. कोटपूतली।
4. चौधरी एज्युकेशनल इंस्टीट्यूठ जरिए अध्यक्ष श्री गोदाराम एवं सचिव डा0 शेर सिंह चौधरी सांगटेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
5. आदेश/गार्ड पत्रावली ।

अति0 कलक्टर(राजस्व)
जयपुर।

Santosh
Secretary
Choudhary Educational Institute
Sangteda, Kotputli (Jaipur)